

**Government of Rajasthan**  
**Directorate of Pension & Pensioners' Welfare Department, Jaipur**

No.F:5(320)DP&PW/Rules/2020/ 398

Jaipur, Nov., 24, 2020

To:

The State Bank of India  
The Punjab National Bank  
The Indian Bank  
The Canara Bank  
The Union Bank of India  
The Indian Overseas bank  
The UCO Bank  
The Bank of India  
The Central Bank of India  
The Bank of Baroda

**Sub: Extension of period for submission of Life Certificate till  
28<sup>th</sup> February, 2021.**


**Ref: This office letter No. F.5(320)DP&PW/Rules/2020/ 397  
dated 24.11. 2020**

Sir,

In continuation of the letter cited above kindly find enclosed herewith Finance (Pension) Department, Government of Rajasthan letter dated 24.11.2020 under which date of submission of Life Certificate has been extended upto 28.02.2021. You are, therefore, requested to kindly ensure compliance of this order and apprise.

Encl: As above.

*Yours faithfully,*

  
**(Sultan Singh)**  
**Director**

राजस्थान सरकार  
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020

जयपुर, दिनांक:- 24.11.2020

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI के बिन्दु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार के मेमोरेन्डम संख्या 18/1/2020-P&PW(C)-6681 दिनांक 11.09.2020 व मेमोरेन्डम संख्या 18/1/2020-P&PW(H)-VOL-III-6786 दिनांक 23.11.2020 के अनुरूप, राज्य सरकार के पेंशनर्स को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 01.11.2020 से 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से बारकोड संख्या 592000193 दिनांक 23.11.2020 पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गयी है।

(वेद/प्रकाश गुप्ता) 24/11/2020  
संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (पेंशन) विभाग,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज.।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।

संयुक्त शासन सचिव

कृ. पू. उ.